प्र –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

जिला–..........राँची......................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–............63........................सन्–.....2019–20........... ।
वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।
अर्जीकार–कल्याणी महतो बनाम प्रतिपक्षी–झारखण्ड सरकार।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
30-09-2020	**आदेश** प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–कल्याणी महतो, पति–श्री कलेश्वर महतो, सा०–बिचाहातु, पो०–बुढ़ाडीह, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–592 R27/2019-2019/बुण्डू में दिनांक–31/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। भूमि विवरणी मौजा: बुण्डू; थाना: बुण्ड; थाना सं०: 28; खाता सं०: 227; खेसरा सं०: 2648; रकवा: 2.75 डीसमील चौहदीः–उ०–दुर्गा हलवाई, द०–प्रस्तावित रास्ता 12 फीट, पू०–नगेन्द्र चौधरी, प०–प्लॉट नं०–2648 का भाग। अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–592 R27/2019-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, वंशावली, बँटवारा/अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है एवं इस आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। 8:30/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। 8:30/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	